न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष : आशीष श्रीवास्तव
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 459–तीन/2014–विरूद्ध आदेश दिनांक 23 जनवरी,2014 – पारित व्दारा – अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग,सागर–प्रकरण कंमांक 392 अ–19/2010–11 निगरानी

1– कैलाश पुत्र अजुद्धा कुम्हार ग्राम गरौली
2– स्वामी पुत्र कन्हैयालाल कुम्हार
ग्राम दुमदुमा तहसील प्रथ्वीपुर
3– राजू पुत्र चतरे कुम्हार
4– सुखलाल पुत्र चतरे कुम्हार
5– बृजलाल पुत्र चतरे कुम्हार
सभी ग्राम गरौली
6– मूलचंद पुत्र धनीराम खटीक
7– राजकुमार पुत्र श्यामलाल खटीक
8– किशोरीलाल पुत्र कन्हैयालाल कुम्हार
9– जितेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल कुम्हार
कृषक सियाखास ग्राम दुमदुमा तहसील
पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– परम पुत्र जालम कुशवाह
2– पजन पुत्र जालम कुशवाह फोत वारिस
अ– तिजिया पत्नि पजन कुशवाह
ब– प्रेमनारायण पुत्र पजन कुशवाह
स– गिरधारी पुत्र पजन कुशवाह
3– नंदलाल पुत्र जालम कुशवाह
4– बलू पुत्र रामदीन कुशवाह
5– डरू पुत्र रामदीन कुशवाह फोत वारिस
अ– महिला खरगिया पत्नि डरू कुशवाह
ब– प्यारेलाल पुत्र डरू कुशवाह
स– घनश्याम पुत्र डरू कुशवाह
6– उम्मेद सिंह पुत्र डरू कुशवाह
सभी निवासी ग्राम सियाखास
तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श
(दिनांक 29 – 03 – 2016 को पारित)

अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग,सागर व्दारा प्रकरण कमांक 392 अ–19/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–1–14 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959

की धारा-50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है पटवारी हलका नंबर 33 ने ग्राम सियाखास के कुल किता 13 कुल रकबा 69.443 हैक्टर भूमि के बन्टन किये जाने हेतु तहसीलदार पृथ्वीपुर को सूची प्रस्तुत की, जिस पर से तहसीलदार पृथ्वीपुर ने प्रकरण क्रमांक 24 अ 10/2001-02 पंजीबद्ध किया तथा ग्राम में इस्तहार का प्रकाशन कराते हुये ग्राम दुमदुमा में केंप आयोजित कर दिनांक 17-4-2002 को 67 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी के समक्ष अनावेदकगण के हित में किये गये भूमि बन्टन के विरूद्ध अपील क्रमांक 32/2007-08 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 9 अगस्त, 2010 पारित किया तथा अपील अस्वीकार करते हुये तहसीलदार पृथ्वीपुर के आदेश दिनांक 17-4-2002 को यथावत् रखा। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी क्रमांक 392 अ-19/2010-11 प्रस्तुत की। अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2014 पारित किया तथा निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पृथ्वीपुर का भूमि बन्टन आदेश दिनांक 17-4-2002 एंव अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी का आदेश दिनांक 9 अगस्त 2010 निरस्त कर दिया एंव भूमि पर से आवेदकगण का कब्जा तत्काल हटवाने के निर्देश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो के आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण

तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इस कारण उन्हें अपील /निगरानी करने का बैधानिक अधिकार नहीं था, इस बिंदु पर अपर आयुक्त ने ध्याण न देकर त्रृटि की है। अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के समक्ष अनावेदकगण ने प्रथम अपील क्रमांक 32/07-08 प्रस्तुत की है। इस प्रकरण के अवलोकन पर यह दिखता है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण ने पक्षकार बनाये जाने ब्राबत् अनुमति आवेदन प्रस्तुत कर सुनवाई की मांग की है एंव अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आर्डरशीट दिनांक 8-12-05 से अपील दायर होकर अंतिम आदेश दिनांक 9-8-10 के बीच 50 पेशियॉ लगी हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में बिंदु पर किसी भी पक्षकार ने वहॉ आपत्ति नहीं की है। चूँकि जो आपत्ति प्रथम अपील न्यायालय में नहीं की गई है उसे निगरानी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। (भागीरथ बनाम हरनाथ सिंह 1884 रा0नि0 298 प्रथम अपील में आपत्ति नहीं की गई - रिव्हीजन में नहीं उठाई जा सकती), अतएव आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदकगण के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदकगण अनुसूचित जाति वर्ग के है जिन्हें शासकीय नीतियों के अनुसार पात्र पाये जाने से भूमि बंटित की गई है , किंतु इस पर भी अपर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया है।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्क किया कि जब आवंटित भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा था तब तहसीलदार ने जानबूझकर कब्जा हटाये बिना एंव अनावेदकगण के पात्र होते हुये एंव उसी गॉव के ग्रामीण होते हुये अन्य ग्राम के व्यक्तियों को भूमि का बन्टन करके त्रृटि की है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त के आदेश दिनांक 23-1-14 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के पद

3 में विवेचना कर इस प्रकार निष्कर्ष दिया है -

" तहसीलदार पृथ्वीपुर के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सियाखास की शासकीय भूमि खसरा नंबर 1517 रकबा 12.423 हैक्टेयर के बंटन हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र में दिये गये दिशा निर्देशों एंव शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 2-3-2002 में दिये गये दिशा निर्देशों के तहत बंटन की कार्यवाही की जाना थी परन्तु तहसीलदार पृथ्वीपुर व्दारा न केवल ग्राम सियाखास की भूमि का बंटन ग्राम सियाखास के पात्र हितग्राहियों को किया गया है बल्कि ग्राम गरौली एंव ग्राम दुमदुमा के व्यक्तियों को भी भूमि बंटन किया गया है साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भी बंटन किया गया जा जिनके पास पूर्व से भूमि धारित थी और उन्हें भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती थी तथा एक ही परिवार के दो-दो, तीन-तीन सदस्यों को भूमि का बंटन किया गया है जो शासन निर्देशों के सर्वथा विपरीत है ".

निगरानी मेमो के आवेदक सरल क्रमांक 3 से 5 के पिता चतरे के परिवार में तीन व्यक्तियों को भूमि बन्टन किया गया है, इसी प्रकार आवेदक क्रमांक 2, 8,9 के पिता कन्हैयालाल के परिवार में भी तीन व्यक्तियों को भूमि बन्टन किया है, जिसके कारण अतिरिक्त आयुक्त व्दारा उनके आदेश दिनांक 23-1-14 में निकाला गया यह निष्कर्ष सही पाया जाता है ।

5/ तहसीलदार पृथ्वीपुर के प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि पटवारी हलका नंबर 33 ने ग्राम सियाखास के कुल किता 13 कुल रकबा 69.443 हैक्टर भूमि के बन्टन किये जाने हेतु तहसीलदार पृथ्वीपुर को सूची प्रस्तुत की है जो प्रकरण में पृष्ठ-1 पर संलग्न है एंव इसी पर से प्रथम आर्डरशीट दिनांक 28-3-2002 लिखकर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्व किया है। तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 9,10,11 पर आवंटित की जाने वाली भूमि के खसरे की पटवारी व्दारा हस्ताक्षरित एंव प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है । खसरों में भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 11.844 हैक्टर गौचर भूमि के सामने कालम नंबर 11 से 14 में, सर्वे क्रमांक 161 रकबा 15.996 हैक्टर गौचर भूमि के सामने

कालम नंबर 11 से 14 में, सर्वे नंबर 164 रकबा 17.474 हैक्टर गौचर भूमि के सामने कालम नंबर 11 से 14 में, सर्वे नंबर 15/7 रकबा 12.423 गौचर भूमि के कालम नंबर11 से 14 में इस प्रकार अंकन है :-

" श्रीमान कलेक्टर महो. के आदेश दिनांक 15-3-2002 अनुसार गौचर से बंजर में दर्ज किया "

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब कलेक्टर आदेश दिनांक 15-3-2002 से भूमि की नोईयत गौचर (पशुओं की चरागाह) से बदलकर बंजर घोषित कर रहे है तब क्या बंजर भूमि बन्टित की जा सकती है ? जब तक भूमि की नोईयत अन्य मदों से काबिलकाश्त (कृषि योग्य) घोषित नहीं की जाती, तब तक कृषि कार्य हेतु भूमि बन्टित नहीं की जानी चाहिये, किन्तु तहसीलदार ने बंजर नोईयत की भूमि बन्टित की है, जिसके कारण अतिरक्त कमिश्नर सागर संभाग ने अपने आदेश दिनांक 23-1-14 से भूमि बन्टन निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि की हो, ऐसा नहीं माना जा सकता।

6/ तहसीलदार के प्रकरण कमांक 24 अ-19/01-02 के अवलोकन पर यह समझ आता है कि उन्होने आर्डरशीट दिनांक 28-3-2002 से प्रकरण पंजीबद्व किया है परन्तु सुनवाई हेतु आगे कोई तारीख नहीं लगाई है। इसके बाद दिनांक 4-5-2002 को प्रकरण लिया जाकर आर्डरशीट में सरपंच ग्राम पंचायत से भूमिहीनों की सूची मांगे जाने का उल्लेख है परन्तु आगे सुनवाई किस तारीख को की जावेगी - पेशी नियत नहीं की है। इसके बाद प्रकरण 9-4-02 को लेकर अनुविभागीय अधिकारी का पत्र सरपंच को भेजने का उल्लेख है परन्तु आगे किस तारीख को सुनवाई होगी - तारीख नहीं लगाई है। इसके बाद प्रकरण में दिनांक

10-4-02 को आर्डरशीट लिखकर दिनांक 17-4-02 को दुमदुमा केंप पर भूमि आवंटन हेतु नियत कर दिया तथा इसी दिन भूमि बन्टन कर दिया गया। अर्थात सरपंच ग्राम पंचायत से भूमिहीनों की सूची प्राप्त नहीं की एंव न ही भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन बाबत् ग्राम पंचायत का ठहराव / प्रस्ताव प्राप्त किया गया। उक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार पृथ्वीपुर ने जानबूझकर अनियमिततायें करते हुये भूमि का बन्टन मानमाने ढंग से किया है जिसे अतिरक्त कमिश्नर सागर संभाग ने आदेश दिनांक 23-1-14 से निरस्त करने में गलती नहीं की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है एंव अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग,सागर व्दारा प्रकरण कमांक 392 अ-19/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-1-14 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर